उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या:419 / xxvii(7) / 2008
देहरादून:दिनांक:27 अक्टूबर,2008

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिए गये निर्णयों के कम में वेतन समिति,1 उत्तराखण्ड(2008) की संस्तुतियॉ को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2006 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / ग्रैच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन।

उपरोक्त विषय पर अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति,उत्तराखण्ड(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन,ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के सबंध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या 394 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबंधित अन्य प्रकियाओं को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रैच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।यह आदेश दिनांक 1–1–2006 से प्रभावी समझे जाएगें तथा निर्धारित प्रकिया के अनुसार पेंशन का पुर्ननिर्धारण / समायोजन किया जाएगा।

2–.यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर(जो उत्तर प्रदेश पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 शासनादेश संख्या–सा–3–969 / दस–923 / 85 दिनांक 8–8–1986 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–3–1720 / दस–308–97 दिनांक 23 दिसम्बर,1997 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे । यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली(गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,दिनांक 1 अक्टूबर,2005 से लागू नई अंशदान पेंशन योजना के सदस्यों,शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हो ।

3–(1)इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन कर्मचारियों पर लागू होगीं, जो दिनांक 1–1–2006 को अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुऐ हैं ।

(2) जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक 1–1–2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है,का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रकिया के अधीन किया जाएगा । यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिऐ लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

4–(1)<u>परिलब्धियॉं</u>–पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों(सेवानैवृत्तिक/डेथ ग्रैच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग–2–4 के मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था ।

(2)"<u>वेतन</u>"–का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–5 के अनुसार निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड–वेतन का योग होगा,जिसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन सम्मिलित नहीं होगा ।

(3)सेवानैवृत्तिक/डेथ कम ग्रैच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा ।

5–<u>पेंशन</u>–पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन(1–1–2006 से रू0 80,000/–) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । राज्य सरकार की पेंशन की दरों के संबंध में पूर्व में की गई व्यवस्था उक्तानुसार संशोधित समझी जाएगी ।

यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 3500/–से कम न हो, का आगणन किया जाय तब न्यूनतम पेंशन रू03500/–निर्धारित की जायेगी।

6–<u>पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा</u>–

(1)10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रैच्युटी अनुमन्य होगी ।

(2)पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष की राजकीय सेवा की अर्हता को घटाकर अब 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी ।

(3)20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह में आहरित वेतन या 10 माह की औसत परिलब्धियॉ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी । जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी ।

(4)स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति हेतु अवशेष सेवा अथवा अधिकतम पांच वर्ष जो भी कम हो, की सेवा जोड़ने की व्यवस्था अब समाप्त की जा रही है । वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 के भाग 2–4 के मूल नियम–56 में आवश्यक संशोधन यथासमय कर दिया जायेगा ।

(5)10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर ही अर्ह सेवा 20 वर्ष के औसत में पेंशन का आगणन किया जाय।

7–<u>सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी</u>– सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 10.00 लाख(रू0 दस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी । इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत रहेगा ।

8–<u>पारिवारिक पेंशन</u>–

(1)पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी । पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 3500 प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी । इस संदर्भ में पारिवारिक पेंशन की दरों से संबधित व्यवस्था दिनांक 1–1–2006 से तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी । दिवंगत हुये सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रकियाओं को यथावत् रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पर अनुमन्य होगी । उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी ।

(2)पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "**परिवार**" को परिभाषा पूर्ववत निम्नलिखित होगी–

(क)दिनांक 1–1–2006 के पूर्व की व्यवस्था के अधीन परिवार की परिभाषा निम्न प्रकार निर्धारित है–

(1)पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3)मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाए

अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। उपरोक्त सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तानें भी सम्मिलित हैं ।

विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है तथा संबंधित आदेश के प्रतिबन्धों के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। दिनांक 1–1–2006 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जाएगा । दिनांक1–1–2006 से यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा। पूर्णतया आश्रित होने पर जीविकोपार्जन से संबंधित मासिक आय के संबंध में स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जाएगा और तब तक पूर्व मासिक आय की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी ।

9–<u>पेंशन के एक भाग का राशिकरण</u>–पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40 प्रतिशत तक की धनराशि की संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकरण की व्यवस्था दिनांक 1–1–2006 से लागू न होकर तत्काल प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप निर्गत किये जाने की तिथि से ही लागू होंगी । कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से पूर्व जो राशिकरण कर दिया गया उसका पुनरीक्षण/वसूली नहीं की जायेगी, परन्तु यदि वर्तमान में कोई 40 प्रतिशत की सीमा में पुनः राशिकरण कराना चाहता है तो वर्तमान दरों पर ही राशिकरण किया जाय।

10–इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जाय ।

11– 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 1–1–2006 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जायः–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु

अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा । पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेगें।

12–दिनांक 1–1–2006से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं गैच्युटी की 31–8–2008 तक की देयता का 40 प्रतिशत 2008–09 तथा 60 प्रतिशत 2009–10 को नकद भुगतान किया जायेगा ।

13– दिनांक 1–1–2006 के बाद सेवा त्यागने/ कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नकद भुगतान किया जाय।

संलग्नक– (1) राशीकरण आगणन तालिका

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या:419(1)/XXvii(7)/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 200प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

ANNEXURE–I

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re.1 PER ANNUM

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.734
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

(17)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:२७२ /xxvii(7)56/2011
देहरादून, दिनांक:०१ दिसम्बर,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले कार्मिकों की असामयिक निधन/निःशक्तता होने पर अनन्तिम आधार पर पारिवारिक पेंशन योजना लागू किया जाना।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या:21/XXVII (7)/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा दिनाँक 1 अक्टूबर, 2005 को अथवा इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आये समस्त कार्मिक, शासन के नियंत्रणाधीन स्वायतशासी संस्थायें और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, हेतु अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है।

2– उक्त पेंशन योजना लागू होने के कारण उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 में राज्य शासन की अधिसूचना सं0– 19/XXVII (7)अं0पें0यो0 / 2005, दि0 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 01, अक्टूबर 2005 को या इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के सेवकों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 के प्रविधान लागू नही होंगे।

3– अब केन्द्र सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं0– 38/41/06/पी एण्ड पी0डब्लू(ए) दिनांक 05 मई 2009 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, कि नवीन पेंशन योजना केवल शासकीय सेवको के सामान्य स्थिति में देय पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन का प्रतिस्थापन है। अतः शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता /असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण हेतु दिनांक 01–10–2005 को या इसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के पेंशन हितलाभ हेतु पृथक से प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

4– उक्त योजना पेंशन हितलाभ हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठित किया गया है,, जिसके द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता /असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ देने की अनुशंसा की गयी है। उच्च स्तरीय कार्यदल द्वारा इस संबंध में की गयी अनुशंसा पर निर्णय एवं कियान्वयन में बिलम्ब को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता /असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में पेंशनरी लाभ देने हेतु अनन्तिम आदेश जारी किये गये हैं।

5– उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के उक्त अंतरिम निर्णय के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा भी नई पेंशन योजना से आच्छादित राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु अथवा सेवा अवधि में घटित अपंगता /असमर्थता के कारण राज्य सरकार की सेवा में अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण होने पर अनन्तिम रूप से निम्न व्यवस्थानुसार पेंशनरी सुविधा अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) सामान्य स्थिति में शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति पर– उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स –1961, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित विकलांग पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपादान।

(2) **शासकीय सेवक की सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर –**
नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित पारिवारिक पेंशन एवं मृत्य उपादान।

(3) **शासकीय सेवक की शासकीय कार्य सम्पादन की अवधि में मृत्यु होने पर–**
उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली –1961 एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित असाधारण पेंशन एवं मृत्य उपादान।

(4) **पुलिस बल के सदस्यों की पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण पेंशन नियमावली –1961 में वर्णित परिस्थितियों में मृत्यु होने पर –**
उत्तर प्रदेश (पुलिस) असाधारण नियमावली –1961, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित असाधारण पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्य उपादान।

6– शासकीय कर्मचारी के परिवार को उपरोक्त हित–लाभ के साथ यथास्थिति मंहगाई पेंशन/मंहगाई राहत की पात्रता भी अनन्तिम (Interim) रूप से अनुमन्य होगी।

7– उपरोक्त अनंतिम हितलाभों का समायोजन राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के द्वारा गठित कार्यदल की संस्तुति को लागू करने व अंतिम रूप से बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार देय हितलाभों से किया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप यदि कोई वसूली की जानी है तो ऐसी वसूली इन नियमो के अन्तर्गत भविष्य में विकलांग पेंशनर/ कार्मिक की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशनर को किये जाने वाले भुगतानों से की जायेगी।

8– उक्त प्रस्तर– 5 के अनुसार किये जाने वाले अंतरिम भुगतान की अवधि में नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के सेवक अथवा उसके परिवार को किसी प्रकार का मासिक–वार्षिकी (Monthly Annutised) का पेंशन के रूप में भुगतान नई पेंशन योजना से नही किया जायेगा।

9– ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार के सेवक अथवा उसके परिवार को उपरोक्त प्रस्तर –5 के अनुसार अंतरिम हितलाभ की पात्रता है, और नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का भुगतान कर दिया गया है, ऐसी भुगतान की गयी राशि का समायोजन भविष्य में प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियमों के अनुसार कर लिया जायेगा।

10– नई पेंशन योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के पेंशनरों के पेंशन प्रपत्रों का तैयार किया जाना प्रस्तुतीकरण एवं स्वीकृति की प्रकिया पूर्व में शासकीय कार्मिकों हेतु की गयी व्यस्थानुसार ही रहेगी।

11– कोषागार स्तर पर उक्त व्यवस्थानुसार स्वीकृत पेंशन हित लाभों के भुगतान का लेखा पृथक से " नई पेंशन योजना" की कैटेगरी में लेखांकन किया जायेगा, जिससे कि इसका लेखा भविष्य में किसी प्रकार के समायोजन के समय प्राप्त किया जा सके।

12 – पूर्व में कार्यालय ज्ञाप सं0 –210/XXVII (7) / 2008, दि0 3 जुलाई, 2008 के द्वारा नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों हेतु अवकाश नकदीकरण की सुविधा को स्थगित किया गया था। अब यह स्पष्ट किया जाता है, कि अवकाश नकदीकरण की सुविधा सेवानिवृत्तिक हित लाभ के अन्तर्गत अनुमन्य नही की जाती है। अतः इस योजना के अर्न्तगत उक्त श्रेणी के कार्मिकों को अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के समान सभी सुविधाऐं यथावत लागू रहेंगी।

उक्त आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2005 या इसके बाद नियुक्त शासकीय सेवको के लिए दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से प्रभावी माने जायेंगे। पूर्व निर्गत नियमावलियों में संशोधन बाद में कर लिये जायेंगे।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 अक्टूबर,2005 तथा तत्कम में समय–समय पर निर्गत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।